

चन्द्र प्रकाश

आई०पी०एस०



अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध)

उत्तर प्रदेश

1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांक : अप्रैल 19, 2018

विषय : अपराधियों पर पुरस्कार घोषित करने एवं उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जोन/परिक्षेत्र/जनपद स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया हेतु निर्देश।

प्रिय महोदय,

पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 464(क) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपराधियों को गिरफ्तार करने या उसकी गिरफ्तारी हेतु परिणामजनक सूचना देने वाले अराजपत्रित पुलिस कर्मियों, ग्राम चौकीदारों जनता के व्यक्तियों को प्रति अपराधी की धनराशि का पुरस्कार शासनादेश सं०:539पी/छ:-पु-6-17-1176/2002 दिनांक 16.09.17 के द्वारा व्यवस्था प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

➤ अपराधियों पर पुरस्कार घोषित करने की धनराशि-

- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को अपराधियों पर रुपये 2.50 लाख प्रति अपराधी तक पुरस्कार घोषित करने की सीमा निर्धारित की गयी है।
- जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को अपराधियों पर रुपये 01 लाख प्रति अपराधी तक पुरस्कार घोषित करने की सीमा निर्धारित की गयी है।
- पुलिस महानिरीक्षक अपराध/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ०प्र० को अपराधियों पर रुपये 50 हजार प्रति अपराधी तक पुरस्कार घोषित करने की सीमा निर्धारित की गयी है।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० को अपराधियों पर रुपये 25 हजार प्रति अपराधी तक पुरस्कार घोषित करने की सीमा निर्धारित की गयी है।

1. पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 464(क) में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी व दण्डित कराने के लिये स्वीकृत किये जाते हैं। उ०प्र० पुलिस रेगुलेशन के अध्याय-31 के प्रस्तर 464 से 471 तक में पुरस्कार से सम्बन्धित निर्देश विहित हैं। पुरस्कार घोषित किये गये अपराधी पर जोन/परिक्षेत्र स्तर पर पुरस्कार बढोत्तरी के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसकी गिरफ्तारी के क्या-क्या प्रयास किये गये? इसकी समीक्षा/संस्तुति/स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्रेषित करने से पहले अवश्य कर ली जाये तद्परान्त विस्तृत आख्या प्रस्ताव निम्न प्रारूप में प्रेषित की जाय:-

प्रारूप

क्र० सं०	अपराधी का नाम व पता	सम्बन्धित अपराधी का अपराधिक इतिहास	मुकदमों का विवरण जिनमें वांछित है।	प्रत्येक मुकदमें में द०प्र०स० की धारा 82/83 में की गयी कार्यवाही का विवरण दिनांक सहित	यदि पहले से घोषित पलायित अपराधी है तो उसका विवरण	अन्य वांछित विवरण कोई हो
1	2	3	4	5	6	7

2. जनपद स्तर पर पुरस्कार घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये उनका विवरण सहित जोन/परिक्षेत्र को प्रेषित की जाय।

3. जिस अपराधी पर जोन/परिक्षेत्र स्तर पर पुरस्कार घोषित किया जाना है उस अपराधी के अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की जाय।

4. पुरस्कार घोषित अपराधी कितने समय से फरार चल रहा है, अवधि की पुष्टि के साथ आख्या प्रेषित की जाय।
5. पुरस्कार बढ़ोत्तरी किये जाने का औचित्य क्या है? इस सम्बन्ध में विस्तृत आख्या जोन/परिक्षेत्र को प्रेषित की जाय।
6. जनपद स्तर से कब और कितनी पुरस्कार की धनराशि स्वीकृत की गयी है, का पूर्ण विवरण (आदेश की छायाप्रति सहित) जोन/परिक्षेत्र को प्रेषित की जाय।
7. परिक्षेत्र स्तर पर पुरस्कार धनराशि बढ़ाये जाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी की आख्या जोन को प्रेषित की जाय।
8. जोन/परिक्षेत्र स्तर से कितनी पुरस्कार धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु अनुशंसा की गयी है, के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण आख्या जनपद द्वारा प्रेषित की जाय।
9. एकाएक किसी सनसनीखेज/आतंकवादी घटना के घटित होने के पश्चात अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार घोषित किये जाने हेतु जनपद द्वारा जोन/परिक्षेत्र को आख्या प्रेषित की जाय।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि पुरस्कार घोषित किये जाने सम्बन्धी उपरोक्त बिन्दुओं से आप स्वयं अवगत हों एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दें। उक्त सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन एवं इस परिपत्र में निहित प्राविधानों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे।

ससदभाष

भवदीय

6/19/4/18  
(चन्द्र प्रकाश)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
प्रभारी जनपद/रेलवेज,  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, 30 प्र० लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, 30 प्र० लखनऊ।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।